न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ

पीठासीन अधिकारी अशोक सांगवा R.A.S

न्याय निर्णयन प्रकरण संख्या –11 / 2025 (खाद्य पदार्थ नमूना संख्या के–2596)

राजस्थान सरकार जरिये हेतराम, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर

प्रार्थी

बनाम

श्री साहिल मिढ्ढा पुत्र श्री नरेश कुमार मिढ्ढा(मालिक) वार्ड नं.–18 तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर मैसर्स–**M L Grand** शॉप नं.– 02 बीकानेर रोड बस स्टेण्ड के सामने अनूपगढ

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा **26(2)(ii), 51, 52** FSSA Act 2006

–निर्णय– दिनांक –27.05.2025

यह इस्तगासा **श्री हेतराम**, खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26(2)(ii) व **धारा 51** के अन्तर्गत पेश किया है। प्रस्तुत इस्तगासा मे वर्णित तथ्य इस प्रकार है– यह है कि परिवादी खाद्य सुरक्षा अधिकारी **हेतराम** दिनांक 20.11.2024 को समय 01:15 पी एम बजे श्रीमान जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, अनूपगढ के आदेशानुसार दिनांक 21.10.2024 द्वारा गठित फूड सैम्पलिंग हेतु टीम के साथ **मैसर्स– M L Grand शॉप न.–02 बीकानेर रोड बस स्टेण्ड के सामने अनूपगढ** पर पहुँचा। मौके पर विक्रेता श्री साहिल मिढ्ढा पुत्र श्री नरेश कुमार मिढ्ढा(मालिक) को अपना परिचय देकर संस्थान के फ्रिज किचन मे एक प्लास्टिक की थेली मे रखे लगभग 5–6 किलो **पनीर(खुला)** के बारे मे जानकारी चाही इस पर विक्रेता ने स्वय को संस्थान का मालिक बताया तथा संस्थान के फ्रिज किचन में थेली में रखे लगभग 5–6 किलो पनीर को पनीर टीका एवं सब्जी तेयार को आमजन को खाने मे परोसने वास्ते बताया जिसमे मिलावट का शक होने पर विक्रेता से पनीर खुला नमूना जांच वास्ते लेने की इच्छा विक्रेता को फॉर्म न.–5 ए भरकर देते हुए व्यक्त की। मौके पर ही विक्रेता को फॉर्म न.–5 ए भरकर दिया जिस पर विक्रेता व गवाहान व द मैने हस्ताक्षर किये।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा संस्थान का निरीक्षण कर आम जनता को विक्रय हेतु उपलब्ध **पनीर(खुला)** मे से 01 किलोग्राम विक्रेता से तय कीमत पर खरीद कर लिया। विक्रेता को मौके पर ही उक्त क्रयशुदा **पनीर(खुला)** का नगद भुगतान **350/–**रूपए किया तथा केशमीमो बनवाकर लिया। जिस पर विक्रेता तथा गवाहान के हस्ताक्षर व स्वय के हस्ताक्षर है, जो संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर फार्म स. 5 ए की प्रतियां तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे **श्री साहिल मिढ्ढा पुत्र श्री नरेश कुमार मिढ्ढा(मालिक)** एवं गवाहान ने भी पढ़कर समझाकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वय आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। फार्म स. 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता **श्री साहिल मिढ्ढा पुत्र श्री नरेश कुमार मिढ्ढा (मालिक)** को देकर असल पर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा पनीर(खुला) **1 किलोग्राम** को बराबर भागो मे बाटकर 04 साफ–सुथरे सूखे डिब्बो मे ले कर प्रत्येक डिब्बे मे फार्मेलिन की 40–40 बूंदे डालकर कसकर ढक्कन बंद किये और चारो डिब्बो पर लेबल तैयार कर चिपकाए और लेबलों पर डी.ओ. श्रीगंगानगर के कोड एवं क्रमांक **के–2596** दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वय ने हस्ताक्षर किए एवं खाद्यकारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारो नमूना भागो को अलग–अलग खाकी कागज मे लपेट कर सिरो को सफाई से मोड़कर गोंद से चिपकाया तथा प्रत्येक भाग पर डी.ओ. श्रीगंगानगर की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप व **के–2596** नियमानुसार चारो नमूना भागो पर नीचे से ऊपर तक गोलाई मे गोंद से चिपकाकर प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनो पर आयें। चारो

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

नमूना भागो के पेपर स्लीप एवं रेपर पर गवाहान के हस्ताक्षर करवाकर स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर कर सील बन्द नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया एवं मौके पर मौके फर्द रिपोर्ट तैयार कर खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक तथा गवाहान को पढ़कर सुनाकर समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिसे साहिल मिढढा एवं गवाहान ने भी पढ़कर, समझकर व सही मान कर हस्ताक्षर किये एवं स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी मौका फर्द पर हस्ताक्षर किये, जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं0 6 की छ: प्रतियां तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति नमूने के आउटर कवर मे सीलबंद कर सील मोहर कर अगले कार्य दिवस में खाद्य विश्लेषक बीकानेर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। फॉर्म संख्या 06 की दो प्रति अलग से एक लिफाफे मे बंद कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विशलेश्क बीकानेर को जमा करवाकर फॉर्म सं 6 की पुस्त पर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है। शेष दो सील बंद नमुना भाग मय फॉर्म न. 6 की दो प्रतियां एवं चौथा भाग मय फार्म सं. 06 की एक प्रति के आउटर कवर मे सील बंद कर डी. ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, श्रीगंगानगर को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो न्याय निर्णय आवेदन के साथ संलग्न है।

खाद्य विश्लेशक बीकानेर से नमूने की जाच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को पत्र क्रमाक FSSA/2023/24779-80 दिनांक** 18.12.2023 के अनुसार खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक के द्वारा वास्ते नमूना जांच विक्रय किया गया खाद्य पदार्थ **पनीर(खुला) का नमूना Sub-standard Food** होना पाया गया।

खाद्य विश्लेशक बीकानेर से नमूने की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात **डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने विक्रेता को फर्म से संबंधित दस्तावेज पेश करने एवं रेफरल लैब से पुनः जांच हेतु पत्र क्रमांक FSSA/2024/1408-10** दिनांक **11.12.2025** संशोधित आदेश क्रमांक–एफएसएसए / 2024 / 1147–49 दिनांक 13.12.2024 द्वारा रजिस्टर्ड डाक से सूचित किया गया परंतु नमूना विक्रेता व मालिक से नमूने के दूसरे भाग को रेफरल फूड लैब से जाच करवाने हेतु कोई आवेदन नही किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेतुराम ने अनुसंधान कार्य सम्पन्न होने के पश्चात श्रीमान अभिहित अधिकारी श्रीगंगानगर को पत्र दिनांक 26.03.2024 के साथ मूल पत्रावली वास्ते अभियोजन स्वीकृति पेश की गई।

अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) **एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी एवं स्वास्थ्य अधिकारी श्रीगंगानगर ने आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को उक्त प्रकरण में अभियोजन स्वीकृति पत्र क्रमांक एफएसएसए / 2025 / 133–34 दिनांक 28.01.2025** के द्वारा संस्थित करने हेतु अधिकृत किया। जो मूल न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

उक्त प्रकरण में अप्रार्थी **श्री साहिल मिढ्ढा पुत्र श्री नरेश कुमार मिढढा(मालिक) वार्ड नं. –18 अनूपगढ़** से खाद्य पदार्थ **पनीर(खुला) Sub-standard Food** का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2) (ii) का उल्लघन किया है। जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 में निर्धारित है।

श्रीमान जी से निवेदन है कि उक्त प्रकरण में विक्रेता को अधिक से अधिक आर्थिक दण्ड से दण्डित करने की कृपा करें।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर बाद रिपोर्ट दर्ज रजिस्टर की गई। अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी मय अधिवक्ता श्री तिलकराज चुघ उपस्थित हुए व अपना जवाब प्रस्तुत किया। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में कथन किया गया है कि परिवादी के द्वारा की गई कार्यवाही किसी भी स्वतंत्र व्यक्ति के

समक्ष नही की गई है एवं जब्तशुदा पनीर अप्रार्थी द्वारा नहीं बनाया गया है ना ही बेचान किया गया है ऐसा कोई दस्तावेज परियादी द्वारा पत्रावली में पेश नही किया गया। जिसमें यह सावित होता है कि पनीर मुझ प्रार्थी के द्वारा उपभोग मे लिया गया है। पत्रावली में सलग्न रिपोर्ट के अवलोकन से भी प्रार्थी के विरूद्ध कोई अपराध साबित नही बनता क्योंकि उपरोक्त पनीर का प्रोडक्शन मुझ प्रार्थी द्वारा नही किया गया है उक्त पनीर गंगा पनीर हाउस, श्रीगंगानगर से मंगवाया गया है। जिसका बिल भी प्रार्थी द्वारा अदा किया गया है व पनीर लो फेट मिल्क का ही गंगा पनीर हाउस द्वारा बनाया गया है। अतः जबाव परिवाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवाद पत्र की कार्यवाही निरस्त फरमावी जावे।

प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित। अप्रार्थी मय अधिवक्ता उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों व अप्रार्थी द्वारा विक्रय खाद्य पदार्थ **पनीर(खुली),** के नमूना जांच की खाद्य विशलेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट **क्रमांक L.S.1522/Act/2024/1522 दिनांक** 02.12.2024 में खाद्य पदार्थ **पनीर(खुली) एफ.एस.एस.ए. अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(ii), 51** का उल्लंघन करते हुए नमुना **के–2596 Sub-Standard Food** पाया गया है। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 26(2)(II) के अन्तर्गत प्रावधान के अनुसार कोई भी खाद्य व्यवसाय संचालक स्वयं या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा कभी भी खाद्य पदार्थ का निर्माण, भंडारण, बिक्री या वितरण नहीं करेगा जो गलत ब्रांडेड या घटिया है या जिसमें बाहरी पदार्थ शामिल है। अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव में यह प्रमाणित होता है कि उक्त खाद्य पदार्थ उसकी दुकान से क्रय किया गया था। खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला बीकानेर के द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से उक्त खाद्य पदार्थ नमूना **Sub-Standard Food** होना पाया गया है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ, उपभोक्ता द्वारा पूरी कीमत चुकाने के बावजूद बेचना उपभोक्ता के विश्वास के बंध को तोड़ता है जो एक उपभोक्ता एवं दुकानदार के बीच होता है। ऐसा नहीं माना जा सकता है कि दुकानदार/विक्रेता को उपरोक्त खाद्य पदार्थ की गुणवता के सम्बन्ध में जानकारी न हो। कीमतन शुद्ध खाद्य पदार्थ प्राप्त करना आम ग्राहक का अधिकार है। यह जीवन के मूल–भूत अधिकार में अंतर्निहित है। आम जन मानस इस विश्वास के साथ खाद्य पदार्थ कीमतन खरीदता है कि उसे उस कीमत का शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलेगा जिसकी उसने कीमत चुकाई है। अप्रार्थी द्वारा **Sub-Standard** खाद्य पदार्थ बेचकर उस विश्वास को तोड़ा गया है। अप्रार्थी द्वारा उक्त कृत्य कर एफ.एस.एस.ए. 2006 धारा 26(2)(II), 51 का उल्लंघन किया है। अतः लोक स्वास्थ्य व उपभोक्ता सुरक्षा की दृष्टिकोण को न्यायहित/लोकहित में रखकर एवं एफ.एस.एस.ए 2006 की धारा **26(2)(II), 51** के अन्तर्गत प्रावधान के मध्यनजर रखते हुए अप्रार्थी द्वारा विक्रय किये गये खाद्य पदार्थ **पनीर(खुला) हेतु श्री साहिल मिढ्ढा पुत्र श्री नरेश कुमार मिढ्ढा(मालिक) वार्ड नं.–18 अनूपगढ़ जिला श्रीगंगानगर मैसर्स–M L Grand शॉप नं.– 02 बीकानेर रोड़ बस स्टेण्ड के सामने अनूपगढ़** को **10000/– रूपये (दस हजार रूपये)** के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

निर्णय आज दिनांक–27.05.2025 को सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

(अशोक सांगवा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़